छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

"गांधी भवन" केयूर भूषण परिसर, कंकाली पारा, रायपुर (छ.ग.)

☎ 0771–2422846, फैक्स 0771–2436707, 2442929

E mail Id- hocgkvib@rediffmail.com

क्र./स्था./K-02/खा.ग्रा/व्यापम/2018–19/2128 रायपुर, दिनांक 18.01.2019

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ के स्थानीय निवासी अभ्यार्थियों से छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षक मण्डल (व्यापम) के वेबसाइड : cgvyapam.choice.gov.in पर आनॅलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1, **रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान :–**

(i) **सहायक संचालक** – **03 पद** (वेतन मेट्रिक्स में वेतन लेवल 12 वेतनमान 15600 –39100)

(ii) **निरीक्षक** – **04 पद** (वेतन मेट्रिक्स में वेतन लेवल 7 वेतनमान 5200–20200)

2. **रिक्त पदों में आरक्षण की स्थिति :–**

(i) **पदनाम एवं संख्या** – **सहायक संचालक (03 पद)**

क्रमांक	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	भू.पू. सै.	निःशक्तजन	
1	अनारक्षित	1	–	–	–	1
2	अनुसूचित जाति	0	–	–	–	0
3	अनुसूचित जनजाति	1	–	–	–	1
4	अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)	1	–	–	–	1

(ii) **पदनाम एवं संख्या** – **निरीक्षक (04 पद)**

क्रमांक	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	भू.पू. सै.	निःशक्तजन	
1	अनारक्षित	2	–	–	–	2
2	अनुसूचित जाति	0	–	–	–	0
3	अनुसूचित जनजाति	1	–	–	–	1
4	अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)	1	–	–	–	1

3, **पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–**

(i) **सहायक संचालक** – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।

(ii) **निरीक्षक** – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्ते :–

1. निर्धारित आयु सीमा :– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2019 को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासन के नियमानुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
2. आवेदक को छत्तीसगढ का स्थानीय/मूल निवासी होना आवश्यक है।
3. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम – 1961 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह किये हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज परीक्षण के दौरान विभाग के समक्ष जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची, हायर सेकेण्डरी की अंकसूची, शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, स्थायी जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी होगी एवं मूल प्रतियां सत्यापन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ0प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक ए। 13–22/2012/आ0प्र0/1–3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडावर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी प्रमाण पत्र एवं प्रारूप (एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. चयनित उम्मीदवारों की कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर लेंवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन के पश्चात् सेवा में लिया जायेगा।
10. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकरी वरियता निर्धारित की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
11. यह नियूक्ति पूर्णतः अस्थाई है, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि के लिये होगी, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शतो। का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
12. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

13. शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, दस्तावेज सत्यापन के समय किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने एवं विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का समस्त अधिकार बोर्ड का होगा।

14. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

15. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटि. क्रमांक (सी) 591 / 2012, 592 / 2012, 593 / 2012 एवं 594 / 2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन होगी।

संयुक्त संचालक
छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
रायपुर